भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2829

जिसका उत्तर 12.08.2026 को दिया जाना है

राजमार्ग अवसंरचना का वित्तपोषण और निवेश

2829 # श्री नवीन जैन:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजमार्ग अवसंरचना में निवेश के अवसरों को व्यापक बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कोई उपाय शुरू किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं को नियंत्रित करने वाले रियायत ढाँचे में संशोधन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ देश की लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार के लिए प्रवेश नियंत्रित राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर (एचएससी)/एक्सप्रेसवे के विकास, एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के रिंग रोड/बाईपास के विकास, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की प्राथमिकता के अनुसार तटीय सड़कों के विकास, नागर विमानन मंत्रालय की प्राथमिकता के अनुसार हवाई अड्डों के विकास और राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (एनआईसीडीसी) की प्राथमिकता के अनुसार औद्योगिक केंद्रों (नोड्स) के विकास पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। इन कदमों का उद्देश्य राजमार्ग अवसंरचना में निवेश के अवसरों को व्यापक बनाना है।

(ख) और (ग) अधिक निजी निवेशकों को आकर्षित करने और निवेश के अवसरों को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए, सरकार ने कई पहलें की हैं, जैसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए मॉडल संविदा करार में सुधार, टोल संचालन और हस्तांतरण (टीओटी) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्रीकरण के लिए मॉडल संविदाओं में सुधार, निवेश के दायरे को व्यापक बनाने के

लिए सार्वजनिक आमंत्रण (आईवीआईटी) का प्रारंभ, रियायतग्राहियों, वित्तदाताओं और प्रमुख सरकारी निकायों के साथ हितधारक सम्मेलन आयोजित करना ताकि निजी निवेशकों को निवेश के अवसर दिखाए जा सकें और साथ ही निवेशकों की चिंताओं को समझा और उनका समाधान किया जा सके।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण-संचालन-स्थानांतरण (बीओटी) परियोजनाओं के लिए मानक बोली और रियायत दस्तावेजों में किए गए प्रमुख संशोधनों में निम्नलिखित शामिल हैं: -

i. वित्तीय सामर्थ्य के आधार पर फंड हाउसों को भागीदारी की अनुमति देकर बोलीदाताओं की पात्रता को बढ़ाया गया है। परियोजना के सफल आबंटन के पश्चात्, वे कार्यों के निष्पादन के लिए अपेक्षित तकनीकी अनुभव रखने वाले ईपीसी संविदाकारों को नियुक्त करेंगे।
ii. विगत मुकदमों और संविदात्मक विवेचनाओं से सीख लेते हुए और संविदात्मक स्पष्टता बढ़ाने के लिए, स्वामित्व परिवर्तन, लक्षित यातायात, क्षतिपूर्ति, समझौते के उल्लंघन के लिए मुआवजा, अप्रत्याशित घटना के कारण होने वाले नुकसान के लिए मुआवजा, क्षमता संवर्धन परियोजनाओं में निर्माण अवधि के दौरान निर्माण सहायता का भुगतान, वार्षिक पास के लिए मुआवजा और कार्यक्षेत्र में परिवर्तन से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया है।
iii. वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) से पूर्व समाप्ति मुआवजे के भुगतान का प्रावधान, जहां परियोजना की वास्तविक प्रगति 20% या उससे अधिक हो, जिससे रियायतग्राही और ऋणदाताओं दोनों के हितों की रक्षा हो सके।
iv. देय ऋण के निर्धारण से संबंधित प्रावधानों को सरल बनाया गया है ताकि अस्पष्टताओं को दूर किया जा सके और उनके प्रयोग में अधिक निश्चितता प्रदान की जा सके।
v. विवाद समाधान कार्यतंत्र को सरल बनाया गया - विवाद समाधान बोर्ड को समाप्त कर दिया गया; 10 करोड़ रुपये से कम के विवादों का समाधान मध्यस्थता के माध्यम से और 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक के विवादों का समाधान सुलह या मध्यस्थता के माध्यम से किया जाएगा।
